8022

4657

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

संख्याः संख्याः डीजी-दो-ब-एसीआर(प्रत्यावेदन)/2019 दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 15,2019

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः- उ0प्र0शासन के शासनादेश दिनांकित 01.02.2013 व 29.01.2014 को उ0प्र0 पुलिस के वेबसाइट पर प्रकाशित कराये जाने के संबंधन में।

कृपया उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः 4/2019/13(2)2007/का-1-2019 कार्मिक अनुभाग-1 दिनांक 27.09.2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु "मेरिट" आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया के सम्बन्ध में प्रस्तर-08 अंकित किया गया है कि सभी प्रतिकूल प्रविष्टियों का नियमानुसार संसूचन करते हुए प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के उपरान्त ही विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाय। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2012-2013 एवं उसके पश्चात् की सभी प्रकार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्याः 36/1/78-का-2/2013 दिनांक 01.02.2013 सपठित शासनादेश संख्याः 36/1/78-का-2 दिनांक 29.01.2014 की व्यवस्थानुसार संसूचित करते हुए, प्राप्त प्रत्यावेदनों का नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त ही चयन समिति की बैठक आयोजित की जाय।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया उ0प्र0शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्याः 36/1/78-का-2/2013 दिनांक 01.02.2013 सपठित शासनादेश संख्याः 36/1/78-का-2 दिनांक 29.01.2014 (छायाप्रतियाँ संलग्न) को तत्काल उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.up.nic.in/ के PPS officers. के मैन्यू पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें, ताकि प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को सूचित कराया जा सके।

Website
HC IT
वेबसाइट पर प्रकाशित करायें,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

ADG- 15.X.19

SP-

Adll. SP-

DSP-

(पी0सी0 मीना)
अपर पुलिस महानिदेशक,(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश ।

Scanned by CamScanner

0/C

संख्या–36/1/78–का–2/2013

प्रषक,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 01 फरवरी, 2013

विषय :– वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में संतोषजनक (Satisfactory), उत्तम/ अच्छा (Good) तथा अति उत्तम (Very Good) ग्रेडिंग के विरूद्ध प्रत्यावेदन दिये जाने एवं उसके निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21.01.2003 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करते समय सम्बन्धित कार्मिक के सम्पूर्ण कार्य एवं आचरण के परिप्रेक्ष्य में ग्रेडिंग दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। ग्रेडिंग की व्यवस्था निम्नवत् है :–

1) उत्कृष्ट (Outstanding)
2) अति उत्तम (Very Good)
3) उत्तम/ अच्छा (Good)
4) संतोषजनक (Satisfactory)
5) ख़राब/ असंतोषजनक (Bad/ Unsatisfactory)

उक्त शासनादेश में यह भी उल्लिखित है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य शब्दावली का प्रयोग न किया जाए।

2– सिविल अपील संख्या–7631 ऑफ 2002, देव दत्त बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.05.2008 का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है:–

36. In our opinion, fair play required that the respondent should have communicated the 'good' entry of 1993-94 to the appellant so that

Scanned by CamScanner

for upgrading the same so that he could be eligible for promotion. Non-communication of the said entry, in our opinion, was hence unfair on the part of the respondent and hence violative of natural justice.

37. Originally there were said to be only two principles of natural justice: (1) the rule against bias and (2) the right to be heard (audi alteram partem). However, subsequently, as noted in A.K. Kraipak's case (supra) and K.L. Shephard's case (supra), some more rules came to be added to the rules of natural justice, e.g. the requirement to give reasons vide S.N. Mukherji Vs. Union of India AIR 1990 SC 1984. In Maneka Gandhi Vs. Union of India (supra) (vide paragraphs 56 to 61) it was held that natural justice is part of Article 14 of the Constitution.

39. In the present case, we are developing the principles of natural justice by holding that fairness and transparency in public administration requires that all entries (whether poor, fair, average, good or very good) in the Annual Confidential Report of a public servant, whether in civil, judicial, police or any other State service (except the military), must be communicated to him within a reasonable period so that he can make a representation for its upgradation. This in our opinion is the correct legal position even though there may be no Rule/ G.O. requiring communication of the entry, or even if there is a Rule/ G.O. prohibiting it, because the principle of non-arbitrariness in State action as envisaged by Article 14 of the Constitution in our opinion requires such communication. Article 14 will override all rules or government orders.

40. We further hold that when the entry is communicated to him the public servant should have a right to make a representation against the entry to the concerned authority, and the concerned authority must decide the representation in a fair manner and within a

Scanned by CamScanner

reasonable period. We also hold that the representation must be decided by an authority higher than the one who gave the entry, otherwise the likelihood is that the representation will be summarily rejected without adequate consideration as it would be an appeal from Caesar to Caesar. All this would be conducive to fairness and transparency in public administration, and would result in fairness to public servants. The State must be a model employer, and must act fairly towards its employees. Only then would good governance be possible.

3– रिट याचिका संख्या–479(एस.बी.) /2010, उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम देवराज विश्वकर्मा व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05.12.2011 को निर्णय/ आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नवत् है :–

"Considering the background of present case, we hereby direct the Chief Secretary to State Government of U.P. to issue appropriate Government Order/ Circular for communication of all the entries (whether poor, fair, average, good or very good) to all the state employees as per dictum of Hon'ble Supreme Court, as laid down in paras 36 & 37 of case of Dev Dutt vs. Union of India, (2008) 8 SCC 725, with a further provision for making representation to the higher authorities and if necessary, appropriate amendment be made in *U.P. Government Servants (Disposal of the representation against adverse annual confidential reports & allied matters) Rules, 1995.*"

4– मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा संतोषजनक (Satisfactory), उत्तम/ अच्छा (Good), अति उत्तम (Very Good) एवं उत्कृष्ट (Outstanding) ग्रेडिंग अंकित किए ज़ाने की स्थिति में उसे भी संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5– उल्लेखनीय है कि खराब/असंतोषजनक (Bad/ Unsatisfactory) ग्रेडिंग, प्रतिकूल प्रविष्टि के अन्तर्गत आती है, जिसके संसूचन एवं प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्राप्त

Scanned by CamScanner

प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995" प्रभावी है।

6— यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि संतोषजनक (Satisfactory), उत्तम / अच्छा (Good) तथा अति उत्तम (Very Good) ग्रेडिंग के सापेक्ष प्रविष्टि प्राप्तकर्त्ता कार्मिक
37. द्वारा प्रत्यावेदन दिया जाता है तो उसके निस्तारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी :—

1) यदि प्रविष्टि प्राप्तकर्त्ता कार्मिक अंकित की गयी ग्रेडिंग से सहमत नहीं है और उसके विरूद्ध समुचित कारण सहित प्रत्यावेदन देना चाहता है, तो वह प्रविष्टि संसूचित किए जाने के दिनांक से दो माह के भीतर अपना प्रत्यावेदन स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा। यदि स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर का कोई प्राधिकारी उपलब्ध न हो, तो
39 स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

2) यथास्थिति एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी अथवा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्यावेदन प्राप्ति के दिनांक से एक युक्तियुक्त समय के भीतर समुचित प्राधिकारी, जिसने प्रविष्टि अंकित की है, से आख्या प्राप्त की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि समुचित प्राधिकारी जिसने प्रविष्टि अंकित की है, आख्या भेजने से पूर्व सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्बित हो, से आख्या अपेक्षित नहीं होगी।

3) एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी अथवा स्वीकर्ता प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा प्रविष्टि अंकित करने वाले प्राधिकारी की आख्या के साथ और यदि कोई आख्या अपेक्षित न हो, तो समस्त तथ्यों के आलोक में प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए दो माह के भीतर सकारण आदेश पारित किया जायेगा।

4) उपर्युक्तानुसार पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसूचित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

संख्या-1/36/1/78-का-2

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 29 जनवरी, 2014

विषय:- वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में संतोषजनक (Satisfactory) उत्तम/अच्छा (Good) तथा अति उत्तम (Very Good) ग्रेडिंग के विरूद्ध प्रत्यावेदन दिये जाने एवं उसके निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 01.02.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की ग्रेडिंग को संसूचित किये जाने तथा 'संतोषजनक', 'उत्तम/अच्छा' तथा 'अति उत्तम' की ग्रेडिंग के सापेक्ष प्रविष्टि प्राप्तकर्ता कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने की स्थिति में उनके प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2 शासन के समक्ष कुछ स्तरों से यह जिज्ञासा प्रस्तुत की गयी है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश की व्यवस्था पूर्ववर्ती वर्षों में दी गयी प्रविष्टियों के संबंध में दिये गये प्रत्यावेदनों के संदर्भ में प्रभावी होगी अथवा नहीं9

3 सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनॉक 01.02.2013 की व्यवस्था केवल वर्ष 2012-13 तथा अनुवर्ती वर्षों में प्रदत्त की जाने वाली प्रविष्टियों के संबंध में ही प्रभावी होगी।

4 उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-36/1/78(1)/का-2/2014- तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned by CamScanner

2 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
4 प्रमुख सचिव, विधानसभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस पी सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned by CamScanner